भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3367
दिनांक 20.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम के अंतर्गत पेयजल परियोजना

3367. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक सभी घरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तय किए गए लक्ष्य की दिशा में क्या प्रगति हुई है;
(ख) सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत पेयजल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उठाए गए हैं/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या हैं, जबकि कई क्षेत्रों में काफी विलंब और अवसंरचना की कमी है;
(ग) सरकार यह देखते हुए कि कई राज्य, विशेषकर ग्रामीण और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, किस प्रकार दीर्घकालिक रूप से पेयजल स्रोतों की निरंतरता सुनिश्चित करने की योजना बना रही है;
(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता संबंधी मुद्दों, विशेष रूप से फ्लोराइड, आर्सेनिक और अन्य प्रदूषकों से संदूषण को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और
(ङ) सरकार शहरी क्षेत्रों, जहां अक्षम वितरण प्रणाली और रिसाव करती हुई पाइप बड़े क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं, में जल की बर्बादी के मुद्दे का समाधान किस प्रकार कर रही है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): अगस्त 2019 से, भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है।

अगस्त 2019 में जेजेएम की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जेजेएम-

आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, 16.03.2025 तक, लगभग 12.29 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 16.03.2025 तक, देश के 19.37 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 15.52 करोड़ (80.19%) परिवारों के पास नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

(ख): जल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

भारत सरकार ने चुनौतियों का समग्र रूप से सामना करने और इन पर काबू पाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता हेतु वित्त मंत्रालय के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता का कार्यान्वयन; सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में राज्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए विभाग में एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाना, कार्यक्रम प्रबंधन हेतु तकनीकी कौशल योग्यताओं और मानव संसाधन उपलब्धता अंतराल को कम करने आदि शामिल हैं, ताकि परियोजना के कार्यान्वयन में किसी भी अनावश्यक देरी से बचा जा सके।

(ग): गांवों में जल आपूर्ति प्रणाली को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/अथवा मौजूदा स्रोतों का संवर्धन, जेजेएम का एक अभिन्न अंग है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

i.) जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई किसी भी जल आपूर्ति स्कीम को संबंधित राज्य सरकार की स्रोत अन्वेषण समिति की सिफारिश के बाद ही अनुमोदित किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि चिह्नित जल स्रोत, जिसके माध्यम से स्कीम की योजना बनाई गई है, में स्कीम डिजाइन अवधि के लिए अपेक्षित मानदण्ड के अनुसार जल आपूर्ति को बनाए रखने हेतु पर्याप्त क्षमता है।

ii.) गांव-अवस्थित जल आपूर्ति अवसंरचना के सृजन के अलावा भरोसेमंद भू-जल स्रोतों रहित जल की कमी वाले सूखा प्रवण और मरूस्थलीय क्षेत्रों में जल के थोक अंतरण, शोधन तथा संवितरण प्रणाली के लिए अवसंरचना और पेयजल स्रोतों का विकास/सुदृढ़ीकरण/संवर्धन करना।

iii.) मनरेगा, ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग का अनुदान, सांसद और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर निधि आदि जैसी अन्य योजनाओं के सामंजस्य में पेयजल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण।

जल शक्ति अभियान (जेएसएस): कैच द रेन (सीटीआर) के तहत एक विशेष पहल जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) 6 सितंबर, 2024 को शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों, उद्योगों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए, सहयोगी समुदाय-संचालित जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है और कम लागत, वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन की गई कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से जल प्रबंधन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है।

(घ) और (ङ): जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रकाशन के बीआईएस:10500 को बेंचमार्क के रूप में अपनाया गया है।

जेजेएम-आईएमआईएस पर राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, आज की तारीख तक, देश में 314 आर्सेनिक और 251 फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बसावटें हैं और इन सभी बसावटों को सीडब्ल्यूपीपी/आईएचपी के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बसावटों को आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण से मुक्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। जल जीवन मिशन की स्थापना से आर्सेनिक से प्रभावित 13,706 और फ्लोराइड प्रभावित 7,745 बसावटों में पाइप से जलापूर्ति किए जाने की सूचना दी गई है।

मार्च 2023 में पेयजल उपचार प्रौद्योगिकियों पर एक पुस्तिका जारी की गई थी ताकि सभी हितधारकों के बीच उपलब्ध नई तकनीकों के बारे में जानकारी का प्रसार किया जा सके ताकि स्थानीय मुद्दों और जल गुणवत्ता प्रभावित गांवों में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने वाली तकनीकों का उपयोग करके पेयजल उपचार संयंत्रों के प्रदर्शन और कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके। राज्य तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर उपयुक्त जल शोधन प्रणाली शुरू कर सकते हैं।

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से, दिसंबर 2024 में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए "ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता निगरानी के लिए संक्षिप्त पुस्तिका" जारी की गई है। हैंडबुक जल गुणवत्ता परीक्षण पद्धति की सिफारिश करती है जैसे नमूना संग्रह बिंदुओं का चिह्नित करना, परीक्षण मानक, परीक्षण आवृत्ति और नमूनों की संख्या, नमूना टर्नअराउंड समय और संदूषण के लिए उपचारात्मक कार्रवाई।

शहरी क्षेत्रों के संबंध में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) की अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के तहत, 4,734 एमएलडी जल उपचार क्षमता सृजित की गई है। इसी तरह, अमृत 2.0 के तहत अब तक 10,674 जल उपचार क्षमता को कवर करने वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

*****